कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश
होशंगाबाद रोड़, भोपाल–462011

क्रमांक 3507/ना.तौ. /अ–1(1)प्रवर्तन /2011 भोपाल, दिनांकः 16.11.11

—:: आदेश ::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3118/नातौ/अ–1(1) प्रर्व./11 दिनांक 4–10–2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, मैं एस.के. जैन, नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, मध्यप्रदेश एतदद्वारा समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान को उनके कार्यक्षेत्र के अधीन पदस्थ निरीक्षकों द्वारा सहकारी समितीयों द्वारा संचालित उचित मूल्य दूकानों/ उपभोक्ता भण्डारों आदि /उपार्जन केन्द्रों के तथा भागीदारी संस्था (फर्म) एवं उसके भागीदारों (पार्टनर) के विरूद्ध दर्ज अपराध प्रकरण के लिये भी शमन किये जाने हेतु अधिकृत करता हूँ।

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान
मध्यप्रदेश, भोपाल
फो.न. 2551017

पृ.क्रमांक 3506/ना.तौ. /अ–1(1)प्रवर्तन /2011 भोपाल, दिनांकः 16.11.11

प्रतिलिपि :–

1– संयुक्त नियंत्रक / दाशमिक अधिकारी, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय।

2– समस्त उप/सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 49 का विस्तृत अध्ययन कर लेवें एवं धारा 49 की अपेक्षा अनुरूप समस्त अभियुक्तों के संबंध में अभियोजन कार्यवाही हो यह सुनिश्चित करें। पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप शमन किये जाने संबंधी जारी किये जाने वाले आदेश में संबंधित द्वारा किस प्रावधान का उल्लंघन किया है वह स्पष्टतः उसके नाम के समक्ष अंकित करेंगे।

3– समस्त निरीक्षक, नाप–तौल, (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान
मध्यप्रदेश, भोपाल